

पंचायत घोसी, ज.पट- मऊ अपनी इमारत करती है कि भवन निर्माण सामग्री के अक्षेपण को के किनारे न एकांत करे तथा अपने घरों/दुकानों के आसपास में न करे। कुड़े को सड़क पर न फेंके और न ही नालों में डाले।

नगरपालिका द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अधिनियम-1916/एनओजी0 एक्ट- 2010 के तहत नगरपालिका अधिनियम/आदेशों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अधिकांशी अधिकारी
नगर पंचायत घोसी
जनपद- मऊ।

घायला को ट्रामा सेंटर लखनऊ रफ्तार किया गया है। हादसे के शिकार लोग जौनपुर से कानपुर शहीद समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे।

जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के पटौला निवासी अलाउद्दीन सोमवार को शहीद समारोह में शामिल होने परिवार के साथ एसयूवी से कानपुर जा रहे थे। रात करीब साढ़े 12 बजे कटौरा गांव के पास बेकाबू टेलर से एसयूवी को भिड़त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी के परछे उड़ गए।

सत्तर अली (55) व उनकी पत्नी शकीना बानो (45) गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद टेलर चालक वाहन समेत भाग निकला। जमरोली थाने की पुलिस ने घायलों को जगदीशपुर सौधखो पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने रेहना खतून, वलिया व फखरे आलम को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने अशिया बानो, बटरुद्दीन, अलाउद्दीन, आगाद, शकीना बानो, सत्तर अली को ट्रामा सेंटर लखनऊ रफ्तार कर दिया।

उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.
संकेत: 0542-2221476 Email: rpvranasi@upsidc.com

उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. को भूमि विक्रय हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति

उ.प्र.रा.ओ.वि.नि.लि. एक राज्य स्तरीय संस्था है जो सभी वर्गों को औद्योगिक/आवासीय मूल्य उचित रूप से देकर विकास के लिए उत्तरदायी है। निगम सड़क, जलापूर्ति, वायु प्रदूषण नियंत्रण, विद्युतीकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों तथा आवासीय मूल्यों का विकास करता है। निगम प्रदेश के सभी जनपदों के लिए भूमि बेच,बनवाएन और उच्च विकसित कर औद्योगिक एवं आवासीय मूल्यों को अपने निगमों के अंतर्गत आवंटित करता है। उ.प्र.रा.ओ.वि.नि.लि. व्यक्तिगत, परिवार, समूह एवं अन्य संस्थाओं से भूमि विक्रय की अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है जो अपनी भूमि उ.प्र.रा.ओ.वि.नि.लि. को बेचना चाहते हैं। भूमि का मूल्य जिला नियन्त्रण कार्यालय (सर्जिल रेट) पर आधारित होगा तथा यह मूल्य भूमि के क्षेत्र-धन को समझ देय होगा।



क्रय एवं विक्रय विधेय जाने वाली भूमि में निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:-

1. भूमि जिला कारागारी उत्तर प्रदेश के नगरीय अथवा अर्धनगरीय, यह शर्तों के समीप होनी चाहिए।
2. भूमि का क्षेत्र अधिवासित/अतिव्यवस्था मूल एव सभी प्रकार के गार (वेनदारी) से मुक्त होना चाहिए। भूमि पर पहुंचने के लिए पड़ले से सीधा यातायात की सुविधा हो, या सड़क मार्ग के लिए भूमि उपलब्ध हो।
3. जिले में स्थान पर भूमि का क्षेत्रफल कम से कम 25 एकड़ तथा पंचायत हाइवे/स्टेट हाइवे/जिलों के मुख्य मार्गों से लगी हुई कम से कम 10 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
4. भूमि को-होल्ड की होनी चाहिए।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति को साथ भूमि से संबंधित सभी आवश्यक कागजात-भूमि के स्वामित्व का प्रमाण, भूमि का नक्शा, संबंधित राजस्व या भी खतीनी के उद्घरण, अनामयित प्रमाण एवं यदि संलग्न होना आवश्यक है। दृष्टिकोण विक्रेताओं से आधार है कि प्रकाशित प्रमाण में अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति सील बन्ध शिफार्थ में रजिस्टर्ड डाक अथवा स्मॉल पोस्ट से क्षेत्रीय प्रबन्धक उ.प्र.रा.ओ.वि.नि.लि. के 6, सन्त रघुवर नगर कालोनी, तिपट, वाराणसी विद्युत कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। अन्य प्रकार से भेजी गई अभिव्यक्ति मान्य नहीं होगी। प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति का प्रारूप निगम की वेबसाइट www.upsidc.com पर उपलब्ध है। अभिरुचि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 है।

उ.प्र.रा.ओ.वि.नि.लि. बिना कोई कारण बताये किसी भी अभिरुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।



यूपीएसआईसी को भूमि विक्रय हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति का प्रारूप

1.1	स्वामी/विक्रेता का नाम	2.6	मूल्य सड़क से दूरी
1.2	पता	2.7	रेलवे स्टेशन से दूरी
1.3	सम्पत्ति का विवरण-टेलीफोन/ईमेल	2.8	जिला मुख्यालय/तहसील से दूरी
2.	भूमि का विवरण	3.	संलग्न कागजातों की सूची उद्घरण आदि
2.1	प्लान व उल्लेख का नाम	3.1
2.2	सतह का नम्बर	3.2
2.3	लैन्डप्लान	3.3
2.4	भूमि का वर्तमान उपयोग	4	प्रति हेक्टर दर जिस पर मुखामी भूमि बेचने का इच्छुक है।
2.5	भूमि पर किस जा रहे क्रियाकलाप		
दिनांक	(हस्ताक्षर-मुखामी/मुख्यामियो)		

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ.प्र.रा.ओ.वि.नि.लि., वाराणसी।

तीन शिक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस

बलिया (छत्तीसगढ़) जिले के तीन सहायक अध्यापकों के प्रमाणपत्रों में खामी पाए जाने पर उन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। इनमें दो सहायक अध्यापकों पुनम यादव और शशिभूषण कुमार गौड़ के प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं, जबकि एक शिक्षिका का प्रमाणपत्र मान्य नहीं माना गया। इन एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ओबरा धर्मल पावर स्टेशन ओबरा सोनभद्र-231219 शुद्धि पत्र ई-निविदा संख्या-39/अधी.अभि. (अन.)/ओ.टी.पी.एस./ओ.सी.सी.एम.डी-II/2016-17 द्वारा सेक्टर नं. 16 के फिल्टर स्लॉट का परिचालन एवं वार्षिक अनुरक्षण का कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसके अनुसंधान निविदा <https://etender.up.nic.in> site पर जमा करने की अंतिम तिथि 12/12/16 (18.00 बजे) तक एच प्रथम भाग (एकनोको-भाग) दिनांक 15.12.2016 (19.00 बजे) को खोल जानी थी। उक्त ई-निविदा की तिथि अपरिहार्य कारणों से बढ़ाई जाती है, तिथियों का विकरण निम्नवत है: 1. <https://etender.up.nic.in> site पर जमा करने की अंतिम तिथि 31/12/2016 (18.00 बजे) तक। 2. अंतिम अपरिहार्य-ओबरा जनपद परिचालन एवं अनुरक्षण मंडल, ओबरा के कार्यालय में हाई कोपी (प्रथम-भाग) जमा करने की अंतिम तिथि-04/01/2017 (14.00 बजे) तक। 3. ई-निविदा के प्रथम भाग खुलने की तिथि-06/01/2017 (16.00 बजे) या उसके बाद। निविदा उत्तर प्रदेश के website <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध। तथा निविदा अनिवार्य हो नवीकार के जायेगी। निविदा को अन्य निगम एवं भी अपरिहार्य नहीं होगी। अधिशासक अभिव्यक्ति, अधीक्षण अभिव्यक्ति संख्या-414/ ब.स. का/ निविदा दिनांक-19/12/16 "गद्द हित में बिगलौ बचामे"

यू0पा0एस0आइ0डा0सा0 का भूमि विक्रय हेतु अभिलेख की अभिव्यक्ति का प्रारूप

क्रम सं०	विवरण	टिप्पणी
1.1	स्वामी / विक्रेता का नाम	
1.2	पता	
1.3	सम्पर्क का विवरण टेलीफोन / ई मेल	
2.	भूमि का विवरण	
2.1	ग्राम व तहसील का नाम	
2.2	खसरा नम्बर	
2.3	क्षेत्रफल	
2.4	भूमि का वर्तमान उपयोग	
2.5	भूमि पर किये जा रहे क्रियाकलाप	
2.6	मुख्य सड़क से दूरी	
2.7	रेलवे स्टेशन से दूरी	
2.8	जिला मुख्यालय / तहसील से दूरी	
3.	संलग्न कागजातों की सूची उद्धरण आदि	
3.1	
3.2	
3.3	
4.	प्रति हेक्टेयर दर जिस पर भूस्वामी भूमि बेचने का इच्छुक है।	
	दिनांक (हस्ताक्षर भूस्वामी / भूस्वामियों)	